

## प्रपत्र ए

### सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

**यूबीएस पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ**

#### संबंधित विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	यूबीएस पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	17 मई 1969
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज-दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U74899DL1969PTC005042
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	पंजी. कार्यालय : 4378 / 4बी, अंसारी रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली-110002 वर्कस : बी-3बी, सेक्टर-63, नोएडा, उ.प्र.-201307
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	21 अक्टूबर, 2022 (23 अक्टूबर 2022 को आईआरपी को सूचित आदेश)
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	19 अप्रैल 2023
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	नाम : अजय गुप्ता पंजी. सं. : IBBI/IPA-001/IP-P00140/2017-18/10304
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है	पता (आईबीबीआई के साथ पंजीकृत) : 7-ए, सिद्धार्थ एक्सटेंशन, पॉकेट-बी, नई दिल्ली-110014 ईमेल : ajaygupta1969@gmail.com
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई-मेल	पता : सी-618, छठी मंजिल, टॉवर-सी, नोएडा वन, बी-8, सेक्टर-62, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201309 ईमेल : cirp.ubs@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	16 नवंबर 2022
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की 4 उप-धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	लागू नहीं
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिह्नित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) संबंधित प्रपत्र उपलब्ध है (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है:	(क) दावा प्रपत्र डाउनलोड करने के लिए वेब लिंक : <a href="https://ibbi.gov.in/home/downloads">https://ibbi.gov.in/home/downloads</a> (ख) लागू नहीं

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण ने दिनांक 21 अक्टूबर, 2022 को यूबीएस पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है (23 अक्टूबर 2022 को आईआरपी को सूचित आदेश)

यूबीएस पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्वारा अपने दावों का प्रमाण 06 नवंबर, 2022 को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों प्रस्तुत कर सकते हैं।

किसी श्रेणी के साथ सम्बन्धित वित्तीय लेनदार जैसा कि प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष सूचीबद्ध है, अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल्स में से अपनी पसंद का अधिकृत प्रतिनिधि को प्रपत्र सीए में निर्दिष्ट करेगा। लागू नहीं

दावों के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

दिनांक : 24.10.2022

स्थान : नई दिल्ली

आईबीबीआई पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-001/IP-P00140/2017-18/10304

अजय गुप्ता  
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल  
IBBI/IPA-001/IP-P00140/2017-18/10304  
PROFESSIONAL  
IBBI/IPA-001/IP-P00140/2017-18/10304